न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	152/2023

28.05.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

30.05.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस अंतिम पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested

41

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
158 / 2023	2023 / 346	06.12.2023	30.05.2025

उनवान प्रकरण

1. बनवारी उर्फ बन्ना पुत्र श्योनाथ आयु 66 वर्ष जाति अहीर निवासी तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——प्रार्थी——

बनाम्

1. उम्मेद कंवर पत्नी मनोहरसिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह आयु 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. रामगोपाल पुत्र छगनलाल उर्फ छिगनलाल आयु 60 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. भुमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
5. सबरजिस्ट्रार उपतहसील अजीतगढ जिला नीमकाथांना राज0 .
6. पटवारी पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर

——अप्रार्थीगण——

उपस्थितः—

श्री कानाराम पूनियां , एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा , एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1ता 3 अभिभाषक।

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 4066 रकबा 0.9600 हैक्टर तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसंकी खातेदारी कतई गलत रूप से अप्रार्थी नम्बर 1ता 3 के नाम से कमशः 479/4800 हिस्सा 1/6 हिस्सा की अंकित है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में सतीदान सिंह के नाम खातेदारी अंकित थी जिसको प्रार्थी ने सतीदानसिंह से जरिये ईकरारनामा दिनांक 12.12.1988 को 35000 रूपये में खरीद कर काबिज कर काश्त चला आ रहा है जिसका मुकदमा न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर में चला था जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपस में दिनांक 07.08.1996 को राजीनामा हो गया था जिसके अनुसार भी प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि में अपने पशु मवेशियानं रखता है। अप्रार्थीगण एवं दीगर किसी का कोई ताल्लुक किसी किश्म का प्रार्थी की उक्त भूमि से ना तो पूर्व में था ना ही वर्तमान में है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम से होने से प्रार्थी अपनी उक्त भूमि का भंली भांति रूप से विकास नही कर पा रहा हैं व सहकारी सुविधाओं से वंचित हो रहा है, इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त भूमियो बाबत अप्रार्थीया नम्बर 1 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर में मुकदमा उनवानी उम्मेद कंवर बनाम छिगनलाल आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 89/2013 पेश किया था जिसमें प्रार्थी बनवारी उर्फ बन्ना ने उक्त वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया था किन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थीया उम्मेद कंवर के अधिवक्ता ने दिनांक 17.10.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवा लिया था। उक्त भूमि बाबत वाद विवाद होने पर अप्रार्थी संख्या 3 रामगोपाल के पिता छगनलाल उर्फ छिगनलाल ने उक्त उनवानी प्रकरण उम्मेद कंवर बनाम छगनलाल उक्त भूमियों बाबत प्रार्थी को 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त बताकर चला आ रहा था। उक्त भूमियों से संबंधित प्रकरण का अप्रार्थी संख्या–3 को पता था परन्तु उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या–3 ने अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 16.05.2023 को कय कर लिया था किन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नही था तथा प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर 30 वर्ष से भी अधिक समय काबिज होने से विपरीत कब्जे को आधार पर प्रार्थी उक्त भूमि की 1/6 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम कराने का कानूनी अधिकारी है। जमीनो की बढती कीमतो के कारण अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी ... है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने ... भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते है एवं अप्रार्थी ... प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये है व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियां को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते है एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि को दीगर को हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे है इन्होने प्रार्थी के विरूध एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो प्रार्थी को उनके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग मे मजाहमत पैदा करने लग गये है एंव प्रार्थी को अनेक प्रकार से हैरान परेशान करने लग गये हैं व मौके पर संगीन वारदात करने पर आमादा रहते है। अप्रार्थीगण की उक्त अवैधव कार्यवाही से प्रार्थी को का अपनी उक्त कब्जेशुदा भूमि में शांतिपूर्वक काश्त करना मुश्किल हो गया हैं वाद कारण दिनांक 20.11.2023 को अप्रार्थीगण के नुमाईन्दो द्वारा प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने व प्रार्थी को जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व स्वयं कब्जा करने एव रहन रखने तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील करने की धमकी देने पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञां न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 को मय परिवारजन, एजेन्ट सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि ता–दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वर्णित भूमि खसरा नम्बर 4066 रकबा 0.9600 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्ज काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करें ना दीगर से करावें ना ही जोर जबरन बेदखल करे, ना जबरन कब्जा करने की कार्यवाही करें ना ही किसी अन्य से ऐसा करवायें तथा उक्त भूमि का दीगर किसी को किसी भी प्रकार से कोई अन्तरण विक्रय नहीं करें ना ही विक्रय लेख तस्दीक करावे ना ही किसी बैंक या वितिय संस्था में गिरवी एवं बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करें ना ही भूमि को खुर्द–बुर्द करे ना ही कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करे। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाए जावे कि वे उक्त भूमि बाबत प्रस्तुत होने वाले किसी भी अन्तरण लेख को तस्दीक नहीं करे, ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे ना ही नामांतकरण खोले ना ही खातेदारी दर्ज करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 3 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। शेष अप्रार्थीगण संख्या–4 ता 6 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाई जाने के उपरांत भी हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या–4 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस वकुलाय [illegible] सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि [illegible] 4066 रकबा 0.9600 हैक्टर तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी कतई गलत रूप से [illegible]र्थी नम्बर 1 ता 3 के नाम से क्रमशः 479 / 4800 हिस्सा 1 / 6 हिस्सा की अंकित है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में सतीदान सिंह के नाम खातेदारी अंकित थी, जिसको प्रार्थी ने सतीदानसिंह से जरिये ईकरारनामा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

12.12.1988 को 35000 रूपये मे खरीद कर काबिज कर काश्त चला आ रहा है जिसका मुकदमा न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर मे चला था, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपस मे दिनाक 07.08.1996 को राजीनामा हो गया था जिसके अनुसार भी प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि में अपने पशु मवेशियान रखता है। अप्रार्थीगण एवं दीगर किसी का कोई ताल्लुक किसी किश्म का प्रार्थी की उक्त भूमि से ना तो पूर्व मे था ना ही वर्तमान मे है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम से होने से प्रार्थी अपनी उक्त भूमि का भली भांति रूप से विकास नही कर पा रहा है व सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहा है, इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त भूमियो बाबत अप्रार्थीया नम्बर 1 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर में मुकदमा उनवानी उम्मेद कवर बनाम छिगनलाल आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 89/2013 पेश किया था जिसमें प्रार्थी बनवारी उर्फ बन्ना ने उक्त वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया था किन्तु उक्त प्रकरण मे अप्रार्थीया उम्मेद कंवर के अधिवक्ता ने दिनांक 17.10.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवा लिया था। उक्त भूमि बाबत वाद विवाद होने पर अप्रार्थी संख्या 3 रामगोपाल के पिता छगनलाल उर्फ छिगनलाल ने उक्त उनवानी प्रकरण उम्मेद कवर बनाम छगनलाल उक्त भूमियों बाबत प्रार्थी को 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त बताकर चला आ रहा था। उक्त भूमियों से संबंधित प्रकरण का अप्रार्थी संख्या–3 को पता था परन्तु उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या–3 ने अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 16.05.2023 को क्रय कर लिया था किन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं था तथा प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर 30 वर्ष से भी अधिक समय काबिज होने से विपरीत कब्जे को आधार पर प्रार्थी उक्त भूमि की 1/6 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम कराने का कानूनी अधिकारी है। जमीनो की बढती कीमतो के कारण अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये हैं, व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते हैं एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये हैं व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते है एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि को दीगर को हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है। जिसके आधार पर प्रार्थी वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण या उभय पक्षकारान् को स्थगन आदेश से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबन्द किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वहीं दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करते हुए वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद व प्रा[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा में भूमि खसरा नम्बर 4066 रकबा 0.9600 हैक्टेयर [illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित हैं। उक्त भूमियो के उत्तरदातागण/अप्रार्थीगण सद्भाविक काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के हक अधिकार खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रार्थी को कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है ना ही हो सकता हैं। अप्रार्थी संख्या–3 के अपने नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 से जरिये क्रय लेख दिनांक 16.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2023 को खरीद किया है। अप्राथीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि पर सदैव से अप्राथीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्राथीगण को अपनी खातेदारी की भूमि का खातेदार बतौर मालिक की हैसियत से समस्त प्रकार के उपयोग उपभोग करने, अन्तरण करने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। जिसमे किसी भी प्रकार की मजाहमत या व्यवधान पैदा करने का प्राथी को कोई हक अधिकार किसी किस्म का नही है। उक्त भूमि से प्राथी का कोई सरोकार किसी किश्म का नहीं है। प्राथी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अप्राथीगण / उत्तरदाता को हैरान प्रेशान करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्राथीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम नौसाला आधारं जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, ईकरारनामा दिनांक 12.12.1988, नकल नक्शा ट्रेस, पुरानी जमाबंदी, दावा पुराना गुकदमा नम्बर 89 / 2013 मय संपूर्ण पत्रावली, रजिस्टर्ड दिनांक 16.05.2023 की फोटोप्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों खसरा नम्बर 4066 रकबा 0.9600 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में क्रमशः 479 / 4800 हिस्सा, 1 / 6 हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में सतीदान सिंह के नाम. खातेदारी अंकित थी, जिसको प्राथी ने सतीदानसिंह से जरिये ईकरारनामा दिनांक 12.12.1988 को 35000 रूपये में क्रय किया जाकर सद्भाविक क्रेता होना प्रतीत होता है। उक्त रजिस्टर्ड करवाये गये ईकरारनामा का अमल दरामंद होकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम अभी तक दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। उक्त भूमि से संबंधित प्रकरण पूर्व में भी न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर में चलाया गया था लेकिन उस प्रकरण मेंउभय पक्षकारान के मध्य आपस में दिनांक 07.08.1996 को राजीनामा हो गया था, जिसके अनुसार भी प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आना प्रस्तुत फोटो प्रति से प्रकट होता है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी उक्त भूमियों का पूर्व में ही बैचान जरिये इकरारनामा के माध्यम से किया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 3 के अपने नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 से जरिये रजिस्टर्ड क्रय लेख दिनांक 16.05.2023 को खरीद किया जाना वकील अप्राथीगण ने अवगत कराया है। अतः ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान को भविष्य में अन्य कोई भूमियों का दीगर व्यक्तियों को और अधिक बैचान नहीं किये जाने हेतु मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होगा। ताकि वो अपने नाम दर्ज भूमियों का अन्य दीगर को बैचान नहीं कर सके। सतीदान सिंह द्वारा जरिए ईकरारनामा [illegible] बैचान किये जाने का प्रश्न है। जहॉ तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण [illegible] रजिस्टर्ड इकरारनामा के माध्यम से क्रय किये गये भूखण्ड के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को प्राप्त होने वाले मालिकाना हक का प्रश्न है। वह मूल वादपत्र में उभय पक्षकारान् प्रार्थी व अप्रार्थीगण की प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर ही निश्चित हो सकेगा। वह यदि प्रार्थी के द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड इकरारनामा का राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] आराजी भूमि के संबंध में [illegible] प्रार्थी [illegible] अभिलेख निहित होना प्रतीत होता है। इस स्थिति में [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया [illegible] है।

—:: आदेश ::—

अतः उपरोक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible] स्वीकार की जाती है तथा तदनुसार [illegible] को तहसीलदार मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] जाता है कि वे विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर भूमि की खसरा नम्बर 4066 [illegible] हैक्टेयर तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला [illegible] के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested